राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1295/2023

मधुबाला राठौड

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ककोड़, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निलम्बन आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–86 के तहत निलम्बन किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का निलम्बन आदेश नियम विरूद्ध है। निलम्बन आदेश सीसीए नियम–13 के तहत ही पारित किया जा सकता है। सीसीए नियम–86 के तहत अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित नहीं किया गया है, बल्कि इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि अपीलार्थी सेवा से बिना सूचना दिये गैर हाजिर चल रही थी, जो निलम्बन किये जाने का आधार नहीं बनता है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज था, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका संख्या 4395/2022 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2022 के द्वारा खारिज किया गया था। अपीलार्थी गिरफ्तारी से बचने के लिये गैर हाजिर चल रही थी, जिस पर अपीलार्थी के सम्बन्ध में दुराचरण की रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी के विरूद्ध सेवा से

स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने का आरोप था और अग्रिम जमानत खारिज होने के फलस्वरूप पुलिस अनुसंधान में उपस्थित नहीं हो रही थी। इस कारण से अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 16.09.2022 को न्यायिक हिरासत में लिया जाकर कारागृह में निरूद्ध/दाखिल किया गया। अपीलार्थी को निरूद्ध किये जाने के आधार पर अपीलार्थी का निलम्बन आदेश सही माना जा सकता है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन आदेश दिनांक 08.09.2022 को पारित किया गया था। अपीलार्थी को कारागृह में दिनांक 16.09.2022 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इस प्रकार निलम्बन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में नहीं लिया गया था। अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने के पश्चात निरूद्ध किया गया था। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग के पास यह आधार नहीं था कि अपीलार्थी 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रही है। हम यह भी पाते हैं कि निलम्बन आदेश सीसीए नियम–13 के प्रावधान के तहत ही पारित किया जा सकता है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को फौजदारी प्रकरण के सम्बन्ध में अन्वेषण या विचाराधीन होने का आधार प्राप्त था, परन्तु अपीलार्थी को इस आधार पर निलम्बित नहीं किया गया है, बल्कि इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि अपीलार्थी सेवा में स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रही है। सेवा में अनुपस्थित चलने के आधार पर निलम्बित किये जाने का प्रावधान सीसीए नियमों में नहीं है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का निलम्बन आदेश गलत आधार पर पारित किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी का निलम्बन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी का निलम्बन आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–1) निरस्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के सम्बन्ध में प्रशासनिक दृष्टि से विवेक का प्रयोग करते हुए नये सीरे से आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)